तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
$28\frac{5}{25}$	पत्रावली पेश हुयी। अद्दि. प्रतिवादी उपास्थित/वादी को न्यायालय समय मे रूक रूक कर तीन बार आवाज लगायी गयी लेकिन कोई उपास्थित नही हुआ। न्यायालय का समय समाप्त हो रहा है। अतः वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली खारिज शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवम्

उपखण्ड अधिकारी लोहावट।

राजस्व मूल वाद संख्या :— /2021

वादीः— मूलसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासी करनगर नगर, निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. जसवन्तसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति राजपूत निवासी निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
2. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 (एक सौ इठयासी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवरजी,

वादी का वाद निम्न प्रकार हैः—

1. यह हैं कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 188 (एक सौ इठयासी) रकबा 3.0999 (तीन दशमलव शून्य नौ नौ नौ) हैक्टेयर मौजा ग्राम करनगर नगर, पटवार हल्का निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर सरहद में आई हुई है। जो आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जायेगी जिसकी चालू जमाबन्दी की प्रतियां संलग्न है।
2. यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिस पर वादी व उसके परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा वादी के टांका, बाड़ा इत्यादि बने हुए है। वादी की उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 (एक) की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 188/2 (एक सौ इठयासी बट्टा दो) रकबा 2.1044 (दो दशमलव एक शून्य चार चार) हैक्टेयर भूमि आई हुई है।

3. यह है कि वादी की वादग्रस्त भूमि के पूर्वी सीमा पर प्रतिवादी हर वक्त दखलंदाजी करता रहता है। वादी ने प्रतिवादी को मना किया परन्तु प्रतिवादी नहीं मान रहा है तथा वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में दिन प्रतिदिन दखलंदाजी करता रहता है तथा वादी को अपनी भूमि में विकास कार्य करवाने, बाधा उत्पन्न करता रहता है तथा तरह–तरह की दखलंदाजी करता रहता है इसी आशय से पूर्व में मेरी भूमि की सीमा पर रोपे गये पत्थरों को तोड़ दिये जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना मतोड़ा में दर्ज करवाई गई जो प्रकरण संख्या 268/2020 (दो सौ अड़सठ बट्टा दो हजार बीस) है जो पुलिस थाना में विचाराधीन है। वादी व प्रतिवादी की भूमि के मध्य में स्थित सीमा को प्रतिवादी खुर्द बुर्द कर वादी की भूमि पर अतिक्रमण करने हेतु उतारू रहता है जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

4. यह है कि हाल ही में दिनांक 28.07.2021 (अठाईस जुलाई दो हजार इक्कीस) को प्रतिवादी अन्य लोगों साथ टेक्टर लेकर वादी की वादग्रस्त भूमि में आये तथा जबरदस्ती वादी की भूमि में काश्त कर वादी के खुंटे नीचे गिराने शुरू कर दिये तब वादी ने इन लोगों को ऐसा करने से मना किया परन्तु प्रतिवादी नहीं माना तथा जबरदस्ती खुंटे गिरा दिये तथा वादी की भूमि पर कब्जा कर वादी को मौके से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी। वादी द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मतोड़ा में दर्ज करवाई गई जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 102/2021 (एक सौ दो बट्टा दो हजार इक्कीस) है। इस प्रकार प्रतिवादी जबरदस्ती वादी की भूमि पर कब्जा कर वादी को मौके से बेदखल करना चाहता है। जबकि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी का कोई लेना–देना नहीं है। जिस पर प्रतिवादी का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए वादी को मजबूरन यह वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय हाजा में बहुत ही मजबूत आधारों पर प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

5. यह है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित है, सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में बनता है तथा अपूर्णीय क्षति भी निश्चित तौर पर वादी को ही हो रही है।
6. यह हैं कि वाद कारण दिनांक 28.07.2021 (अठाईस जुलाई दो हजार इक्कीस) को प्रतिवादी अन्य लोगों साथ टेक्टर लेकर वादी की वादग्रस्त भूमि में आये तथा जबरदस्ती वादी की भूमि में काश्त कर वादी के खुंटे नीचे गिराने शुरू कर दिये तब वादी ने इन लोगों को ऐसा करने से मना किया परन्तु प्रतिवादी नहीं माना तथा जबरदस्ती खुंटे गिरा दिये तथा वादी की भूमि पर कब्जा कर वादी को मौके से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी, तब पैदा हुआ जो आज भी निरन्तर जारी हैं।
7. यह हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम करनगर नगर, पटवार हल्का निम्बों का तालाब तहसील बापिणी जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई जिसके बाबत् तमाम प्रकार के राजस्व वाद श्रवण कर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त हैं।
8. यह हैं कि तहसीलदार बापिणी को भूमिधारी होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं परन्तु उनसे किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही हैं। इस कारण धारा 80 (अस्सी) सी.पी.सी. का नोटिस समयाभाव में दिया जाना सम्भव नहीं हैं। वाद आवश्यक प्रकृति का हैं। धारा 80(2) (अस्सी (दो)) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र वाद के साथ अलग से प्रस्तुत हैं।
9. यह हैं कि वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का निर्धारित शुल्क 1/– (एक) रूपये पर अलावा तलबाना पेश हैं।
10. यह हैं कि इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार हैं:–
    1. यह हैं कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 (एक) इस आशय की

जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 188 (एक सौ इठयासी) रकबा 3.0999 (तीन दशमलव शून्य नौ नौ नौ) हैक्टेयर मौजा ग्राम करनगर नगर, पटवार हल्का निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

2. यह हैं कि अन्य अनुतोष जो न्यायालय हाजा की नजर में वादी प्रतिवादी संख्या 1 (एक) के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी हैं दिलवाया जावें।
3. यह हैं कि वाद खर्चा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 (एक) से दिलवाया जावें।

जरिये अधिवक्ता

वादी

तस्दीकः—

मैं मूलसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, आयु 88 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी करनगर नगर, निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर वाला हल्फ से तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित पद संख्या 1 (एक) से 5 (पांच) मेरी निजी जानकारी से सही एवं सत्य हैं पद संख्या 6 (छः) से 9 (नौ) कानुनी हैं जो मुझे मिली कानुनी सलाह अनुसार सही मानता हूँ तथा पद संख्या 10 (दस) इस्तदुआ वादी हैं जो सही एवं सत्य हैं।

OATH COMMISSIONER
REVENUE/CRIMINAL COURT
JODHPUR (RAJ.)

तस्दीककर्ता